


कार्यालय आदेश सं. 29.1.18.....

महाप्रबन्धक(कार्मिक)/गोरखपुर के पत्र संख्या का/283/8/अरेअम/नटवर-रितेश/पा.स्था/नवम/लूज दिनांक 04.10.2017 के द्वारा श्री नटवर लाल/कैरेज खलासी/वाराणसी मंडल/पूर्वोत्तर रेलवे, वेतनमान (5200-20200+1800 ग्रेड पे) का श्री रीतेश कुमार राय/हेल्पर खलासी/लखनऊ/बड़ौदा हाऊस उत्तर रेलवे, वेतनमान (5200-20200+1800 ग्रेड पे) के साथ स्वयं के अनुरोध पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु सक्षम अधिकारी मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन/महोदय ने स्वीकृति प्रदान की है, के आलोक में मरेप्र/का/लखनऊ के पत्र सं 940E/2-3/C&W/IRMT/17 दिनांक 17.01.2018 द्वारा विरमित होकर श्री रीतेश कुमार राय/हेल्पर खलासी/लखनऊ/बड़ौदा हाऊस उत्तर रेलवे, वेतनमान (5200-20200+1800 ग्रेड पे) महाप्रबन्धक/का/कार्यालय गोरखपुर ना जाकर सीधे वाराणसी मंडल में दिनांक 18.01.2018 को रिपोर्ट किये थे। जिसके क्रम में श्री रीतेश कुमार राय/हेल्पर खलासी/लखनऊ/बड़ौदा हाऊस उत्तर रेलवे, वेतनमान (5200-20200+1800 ग्रेड पे) को इस कार्यालय के पत्र सं का/या/283/अरेअम/स्था./भाग. III/17 दिनांक 19.01.2018 के द्वारा इनकी पारस्परिक स्थानान्तरण की सत्यता की पुष्टि हेतु इन्हे महाप्रबन्धक/कार्मिक/गोरखपुर भेजा गया जिसके पश्चात श्री रीतेश कुमार राय/हेल्पर खलासी/लखनऊ/बड़ौदा हाऊस उत्तर रेलवे, वेतनमान (5200-20200+1800 ग्रेड पे) जो महाप्रबन्धक/कार्मिक के पत्र सं का/283/8/अरेअम/नटवर-रितेश/पा.स्था/नवम/लूज दिनांक 23.01.2018 द्वारा वाराणसी मंडल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 24.01.2018 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, की तैनाती समाप्त पद/वेतनमान में सीसेई/समाडि/आजमगढ़ के अन्तर्गत की जाती है। इन्हे स्थानान्तरण सम्बन्धि कोई सुविधा देय नहीं है। कर्मचारी दिनांक 18.01.2018 से कार्यालय आदेश जारी होने तक इस कार्यालय में ड्यूटी हेतु प्रतिक्षारत रहा है। उक्त पारस्परिक स्थानान्तरण रेलवे बोर्ड के पत्र सं E(NG)-2017/TR/24 दिनांक 22.09.2017 के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

उपरोक्त पर प्लेसमेंट कमेटी की सहमति एवं सक्षम अधिकारी का अनुमोदन का आदेश प्राप्त है।



(सहायक कार्मिक अधिकारी/1)
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)
वाराणसी
दिनांक : 29.01.2018

सं. का/या/283/अरेअम/भाग III/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वमयाई/समाडि/वारा
2. वमविप्र/वारा
3. सीसेई/समाडि/आजमगढ़
4. मु. कार्याधी/यांत्रिक बिल
5. सम्बन्धित कर्मचारी
6. मंडल मंत्री नरमू, अजा/अजजा एवं ओबीसी/ एसोसि. वाराणसी ।
7. अन्य प्रति

(सहायक कार्मिक अधिकारी/1)
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)
वाराणसी